भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 829
उत्तर देने की तारीख 12 दिसंबर, 2022
सोमवार, 21 अग्रहायण,1944 (शक)

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु योजनाएं

829. श्री राजेश वर्मा: श्री नारणभाई काछड़िया: श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में राज्य-वार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई उद्यमी उद्यमिता योजना/कार्यक्रम शुरू करने का विचार है;

(ख) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले सहित उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्व-रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राजसहायता के साथ वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कतिपय बाधाओं और कठिनाइयों को कम करके कोई प्रेरक पहल
की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2020 से गुजरात में लाभार्थियों के संबंध में सांख्यिकीय जानकारी क्या है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। एमएसडीई द्वारा की गई विभिन्न पहलों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(i) **'महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं द्वारा स्टार्ट-अप्स' (डब्ल्यूईई)**परियोजना को जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्रालय (बीएमजेड) की ओर से 'डच जेसलशैफ्ट फॉर इंटरनेश्नल जूशामेनरबीट' (जीआईजेड) द्वारा एमएसडीई के साथ भारत में महिला-नीत उद्यमों के लिए ढांचे की स्थिति में सुधार करने के लिए सहयोग दिया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य महिला सूक्ष्म उद्यमियों के लिए पोषण और त्वरण कार्यक्रमों को शुरू करना है, जिससे उन्हें महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और

देश के आठ पूर्वोत्तर राज्यों में नए व्यवसाय शुरू करने और मौजूदा उद्यमों को बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। 'हर एंड नाउ' के शीर्षक के अंतर्गत, डब्ल्यूईई परियोजना सफल महिला उद्यमियों की कहानियों को साझा करने और समाज में जेंडर भूमिकाओं और मानदंडों पर सकारात्मक मानसिकता को पोषित करने के लिए एक फिल्म और मीडिया अभियान भी चला रही है। परियोजना के अंतर्गत अब तक, 900 से अधिक महिला उद्यमियों को पोषण और त्वरण सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत सहयोग दिया गया है। कुल 908 महिला उद्यमियों में से 341 उत्तर प्रदेश राज्य से हैं।

(ii) **पीएम युवा प्रायोगिक परियोजना:** एमएसडीई ने उद्यमशीलता शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रचार और उद्यमशीलता नेटवर्क तक आसान पहुंच के माध्यम से सक्षम इकोसिस्टम बनाने की दिशा में पीएम-युवा प्रायोगिक परियोजना (नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक) को कार्यान्वित किया। यह स्कीम छात्रों/प्रशिक्षुओं {यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पॉलिटेक्निक, प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)} और कौशल इकोसिस्टम से प्रशिक्षण प्राप्त पूर्व छात्रों पर केंद्रित है। यह परियोजना उद्यमशीलता विकास, उद्यमशीलता प्रशिक्षण के साथ-साथ मेंटरिंग एवं हैंडहोल्डिंग में अनुभव रखने वाले संगठनों के माध्यम से दस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात् असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पुदुचेरी) में कार्यान्वित की गई। हालांकि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था लेकिन कार्यक्रम में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सजग प्रयास किए गए थे। परियोजना में शामिल किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या 63,255 है, जिनमें से 24,398 महिलाएं हैं। परियोजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या 8104 थी, जिनमें से 2105 महिलाएं थीं।

(iii) **छह पवित्र नगरों में उद्यमशीलता विकास**, एमएसडीईकी एक परियोजना का उद्देश्य, संभावित और मौजूदा उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं, कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों, पिछड़े समुदाय के युवाओं आदि की भागीदारी के माध्यम से स्थानीय उद्यमशीलता कार्यकलापों को उत्प्रेरित करना है। यह परियोजना बोधगया, कोल्लूर, हरिद्वार, पुरी, पंढरपुर और वाराणसी में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों की कुल संख्या 7,185 है, जिनमें से 4,535 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश राज्य (वाराणसी) में, परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या 1,798 है, जिनमें से 536 महिलाएं हैं।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई विभिन्न पहलों के विवरण निम्नानुसार है:

(i) **स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी):** स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत उप-योजना - ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का उद्देश्य स्व-सहायता समूह (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्र में लघु उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है । एसवीईपी परियोजनाएं ब्लॉकों में कार्यान्वित की जाती हैं और परियोजना की अवधि चार वर्ष की होती है। एसवीईपीग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजीपरिवारों के साथ उद्यम विकास के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करता है, जिसमें सामुदायिक उद्यम निधि (सीईएफ) (उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक समर्पित कोष) और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों-उद्यम प्रोत्साहन (सीआरपी-ईपी) का कैडर (व्यवसाय सहयोग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए) शामिल है। एसवीईपी के अंतर्गत, एक ब्लॉक के लिए परियोजना लागत 6.50 करोड़

रुपए (भारत सरकार और राज्य सरकार से शेयर सहित) है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और पर्वतीय राज्यों के लिए भारत (भारत सरकार) की भागीदारी 90% है जबकि शेष राज्यों के लिए यह 60% है। उत्तर प्रदेश राज्य में एसवीईपी के अंतर्गत अब तक 16,915 उद्यमों की सहायता की गई है।

(ii) **वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग की स्टैंड-अप इंडिया स्कीम (एसयूपीआई)**माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 05 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई थी और इसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्टैंड-अप इंडिया स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवाओं या व्यवसाय क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने और संबद्ध कार्यकलापों के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बीच के मूल्य के ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार (क) उधारकर्ता द्वारा लगाई जाने वाली मार्जिन राशि को परियोजना लागत के '25% से घटाकर 15% तक' कम कर दिया गया है। हालांकि, उधारकर्ता अपने योगदान के रूप में परियोजना लागत का कम से कम 10% योगदान देना जारी रखेगा। (ख) 'कृषि से संबद्ध कार्यकलापों'' में उद्यमों के लिए ऋण, कुछ और सेवाओं को छोड़कर, स्कीम के अंतर्गत शामिल होने के लिए पात्र हैं। स्टैंड-अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत, 30.11.2022 तक, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले सहित उत्तर प्रदेश राज्य में स्वीकृत ऋणों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

राज्य/जिला	**स्वीकृत ऋणों की संचयी संख्या**	**कुल में से महिलाओं को स्वीकृत ऋणों की संख्या**
उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला	83	74
उत्तर प्रदेश	17,813	15,204

(iii) वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग की प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 08.04.2015 को व्यक्तियों को अपने व्यावसायिक कार्यकलाप आरंभ करने या विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह स्कीम तीन श्रेणियों जैसे शिशु (50,000 रुपए तक), किशोर (50,000 रुपए से 5 लाख रुपए) और तरुण (5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए) विनिर्माण, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र और कृषि से संबद्ध कार्यकलापों के लिए भी आय पैदा करने वाले कार्यकलापों के लिए ऋण की सुविधा देती है। पीएमएमवाईके अंतर्गत, 25.11.2022 तक, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले सहित उत्तर प्रदेश राज्य में स्वीकृत ऋणों की संख्या के विवरण निम्नानुसार हैं:

राज्य/जिला	**स्वीकृत ऋणों की संचयी संख्या**	**कुल में से महिलाओं को स्वीकृत ऋणों की संख्या**
उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला	2,16,881	1,49,484
उत्तर प्रदेश	3,58,31,810	2,16,34,095

*जिला वार डाटा 01.04.2016 से उपलब्ध है

(iv) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की एक स्कीम है, जो देश में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र का एक प्रमुख ऋण-संबंद्ध सहायकी कार्यक्रम है। यह स्कीम 2008-09 के दौरान शुरू की गई थी। पीएमईजीपी के अंतर्गत

सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी सहायकी का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), आकांक्षी जिले, पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसे विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सहायकी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। महिलाओं को पीएमईजीपी के अंतर्गत विशेष श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है और वे सहायकी की उच्च दर और कम व्यक्तिगत योगदान की हकदार हैं। पीएमईजीपी के अंतर्गत, कुल मार्जिन मनी सहायकी का 35% से 40% महिलाओं को संवितरित किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) का अवलोकन करें।

(घ) गुजरात राज्य में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों के विवरण निम्नानुसार है:

(i) **स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी)** - अक्तूबर 2022 तक, गुजरात राज्य में स्थापित उद्यमों की कुल संख्या 5,918 है।

(ii) **स्टैंड-अप इंडिया स्कीम (एसयूपीआई)** - एसयूपीआईस्कीम के अंतर्गत, 02.12.2022 तक, गुजरात राज्य में स्वीकृत ऋणों की संख्या से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	**स्वीकृत ऋणों की संचयी संख्या**	**कुल में से महिलाओं को स्वीकृत ऋणों की संख्या**
गुजरात	3,278	2,757

(iii) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) - पीएमएमवाईके अंतर्गत, 25.11.2022 तक,गुजरात राज्य में स्वीकृत ऋणों की संख्या से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	**स्वीकृत ऋणों की संचयी संख्या**	**कुल में से महिलाओं को स्वीकृत ऋणों की संख्या**
गुजरात	38,28,784	24,40,176

(iv) **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** - गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को संवितरित सहायकी और महिलाओं द्वारा स्थापित इकाइयों की संख्या के विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	**संवितरित मार्जिन मनी सहायकी (लाख रुपए में)**	**स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की संख्या**	**सृजित रोजगार की अनुमानित संख्या**
2019-20	21377.29	2719	21752
2020-21	14738.00	1841	14728
2021-22	20475.93	2630	21040
2022-23* (*01.12.2022 तक)	8818.60	1117	8936

****